Act No. 43 of 20[illegible]

2013 का विधेयक संख्यांक 33

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 8 का संशोधन।

2013 का विधेयक संख्यांक 33

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2013 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 में,- धारा 3 का संशोधन। 1971 का 4

(क) उपधारा (1) में, "छत्तीस" शब्द के स्थान पर "पचास" शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उपधारा (1-अ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (1-अअ) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(1-अअ). अध्यक्ष, तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,- धारा 4 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "तैंतीस" शब्द के स्थान पर "पैंतालीस" शब्द रखा जाएगा; और

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

मैं, एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है ।

अध्यक्ष ।

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमलाः—171004.
दिनांकः 14—9—2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

राज्यपाल ।

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमलाः—171002.
दिनांकः १८—9—2013

(ख) उपधारा (1–अ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (1–अअ) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1–अअ). उपाध्यक्ष, तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।"।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, "दस" शब्द के स्थान पर "बीस" शब्द रखा जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 33 OF 2013

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 8.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 8.

Bill No. 33 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No.4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2013.

Amendment of section 3

2. In section 3of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),— 4 of 1971

(a) in sub-section (1), for the words "thirty six", the word "fifty" shall be substituted; and

(b) after sub-section (1-A), the following sub-section (1-AA) shall be inserted, namely :—

"(1-AA) The Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of thirty thousand rupees per mensem.".

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "thirty three", the words "forty five" shall be substituted:, and

मैं, "हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 33)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 33)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

चिराग भानु सिंह
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(b) after sub-section (1-A), the following sub-section (1-AA) shall be inserted, namely :—

"(1-AA) The Deputy Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of thirty thousand rupees per mensem.".

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.